के स्थान पर उन्हें सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना है। यदि उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है और यदि वे राष्ट्र के अभिजन बनना चाहते हैं तो उन्हें वर्तमान आत्म केन्द्रित राजनैतिक अभिजात वर्ग के विरुद्ध आवाज उठानी है। उन्हें अपने दृष्टिकोण को अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण की समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा समाज की मूल समस्याओं पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना है।

आरक्षण नीति
(The Reservation Policy)

सभी आयोगों तथा समितियों ने जिन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया है, जैसे मिलर समिति (पूर्व राज्य मैसर द्वारा नियुक्त) या कालेलकर आयोग (भारत सरकार द्वारा 1955 में नियुक्त) स्वीकार किया है कि क्षतिपूर्तिपूर्ण भेदभाव (Compensatory Discrimination) की आवश्यकता है। कुछ न्यायालयों ने भी इस प्रकरण की जाँच की है। एक न्यायाधीश ने संकेत किया है कि आरक्षण की नीति ने आत्म प्रवंचना (Self Denigration) को जन्म दिया है जिससे प्रत्येक जाति और समुदाय स्वयं को दूसरे से अधिक पिछड़ा होने की होड़ में लगा दिया है। एक और मामले में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने सिफारिश की थी कि आरक्षण नीति का पुनरावलोकन प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् होना चाहिए जिससे कि राज्य, विसंगतियों को सुधार ले तथा लोग आरक्षण की नीति के व्यावहारिक प्रभाव को जनता के समक्ष बहस में अभिव्यक्त कर सकें। उच्चतम न्यायालय ने 15 नवम्बर 1992 को अपने निर्णय में जाति के आधार पर आरक्षण नीति का अनुमोदन किया। आज जिस समस्या पर चर्चा हो रही है वह यह है कि क्या आरक्षण नीति या रक्षात्मक भेदभाव न्याय को सुनिश्चित करने तथा सामाजिक रूप से दलित तथा आर्थिक शोषण के शिकार दलित लोग के लिए तर्कपूर्ण और लाभप्रद योजना है।

इस सन्दर्भ में लिखित तर्क दिये जा सकते हैं–

1. शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण स्वयं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर सकता। वास्तव में, यदि इसे अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचाया जाये तब यह प्रति उत्पादक भी सिद्ध हो सकता है (Dubey: 1990)। आरक्षण, शामक (Palliatives) का अच्छा उदाहरण है और कोई भी निश्चित परिवर्तन तब तक नहीं होता। सबसे महत्त्वपूर्ण है भूमि सुधारों का यथार्थ रूप में आना (Become a Reality) शैक्षिक व्यवस्था में सुधार किए जाने से भी सामाजिक समूह से उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए प्रत्याशी उपलब्ध हो सकते हैं।

2. हमारा देश पहले से ही विविध समूहों में विभक्त है। आरक्षण तो जनसंख्या को कृत्रिम रूप से और विभक्त करेगा। प्रारम्भ में आरक्षण विशेष परिस्थितियों में 15 वर्ष तक के लिए स्वीकार किया गया था; लेकिन सदैव के लिए उसका जारी रखना स्वार्थी एवं पृथकतावादी तत्त्वों को जन्म देता रहेगा जिससे जाति युद्ध तथा देश की एकता को खतरा हो सकता है। कुछ समय पूर्व यह आदेश जारी किया गया था कि किसी भी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र में कोई भी व्यक्ति जाति का उल्लेख नहीं करेगा। किन्तु यदि आरक्षण नीति को अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ी जातियों / वर्गों के लिए जारी रखना है, तब तो अभ्यर्थियों को अपने प्रार्थना पत्रों में जाति का उल्लेख करना पड़ेगा, अन्यथा उसकी पहचान कैसे होगी? इससे हिन्दू समाज टुकड़ों में बँट जाएगा।

Scanned with CamScanner

3. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब आरक्षण नीति लागू की गई थी उस समय प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत कम संख्या में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग थे। बाद में श्री जगजीवन राम ने अपने रेल मंत्रित्व काल में पदोन्नतियों में भी आरक्षण जारी करा दिया जिससे कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग अपने उच्च अधिकारियों से भी उच्च पदों पर प्रोन्नत हो गए। इससे नागरिक सेवाओं का न केवल राजनीतिकरण हुआ, बल्कि इसने प्रशासनिक कुशलता को भी प्रभावित किया। फिर जिस प्रकार देश के विभाजन के समय प्रशासनिक सेवाओं में मुसलमान पाकिस्तान के लिए तथा गैर-मुसलमान भारत के लिए काम करते थे, उसी प्रकार आरक्षण नीति के कारण अधिकारी गण अपनी जाति के लिए अब कार्य कर रहे हैं। यदि व्यवस्था दस पंद्रह वर्ष और चलती रही तो बड़ी अव्यवस्था हो जायगी। यही समय है जब कि समाज व आरक्षण से लाभार्थी दोनों ही आरक्षण को त्याग दें। समाज को भी ऐसी स्थितियाँ पैदा करनी चाहिए जहाँ प्रतियोगिता के माध्यम से योग्यता के आधार पर सभी सेवाओं और प्रवेश में चयन हो सके जिसमें सभी प्रत्याशियों को सुअवसर मिल सकने की निश्चिंतता हो।

4. पिछले 53 वर्षों के अनुभव से यह ज्ञात होता है कि आरक्षण नीति ने वांच्छित परिणाम नहीं दिये हैं। संख्या और राज्य विधान सभाओं में कम संख्या में अनुसूचित जाति। जनजाति के प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्रों की परेशानियों को ठीक से रख नहीं पाते हैं। सेवाओं और शिक्षा संस्थाओं के आरक्षण से कुछ ही जातियों और जनजातियों को लाभ हुआ है। आरक्षण से संघर्षों और तनावों को भी जन्म मिला है। 1970 और 1980 के दशकों व 1990 दशक के प्रारम्भिक वर्षों में देश ने व्यापी हिंसा की लहरों को अनुभव किया। बजट के वित्तीय आवंटन, जो कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के विकास के लिए निश्चित किए जाते हैं, उनको अनावश्यक योजनाओं में खर्च किया जाता है।

आरक्षण को वर्तमान में पिछड़ी जातियों / जनजातियों के उत्थान के लिए नहीं परन्तु राजनैतिक दल और नेता वोट बैंक के रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के उपरान्त भी कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तमिलनाडु ने इसे अपने राज्य में 69 प्रतिशत रखा है, कर्नाटक ने 73 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश ने 62 प्रतिशत। उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) में पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है, यद्यपि इस क्षेत्र में इन जातियों की संख्या 2 प्रतिशत ही है। आन्ध्र प्रदेश और बिहार 27 प्रतिशत आरक्षण की माँग कर रहे हैं। मेघालय व नागालैण्ड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ही 80 से 85 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था लागू है। कुछ नेता (केन्द्रीय मंत्री तक) तो मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की माँग कर रहे हैं। ईसाइयों के लिए भी आरक्षण कोटे की माँग उठ रही है।

Creamy layer

बिहार ने "क्रीमी सतह" व्यक्तियों की हास्यप्रद परिभाषा सितम्बर 1994 में दी है।

(i) उन उद्योगपतियों की सन्तान जिनके उद्योग में दस करोड़ रुपये से अधिक लगा हुआ है, जो पाँच वर्ष से अधिक समय से उत्पादन कार्य कर रहा है, जिनकी पत्नियाँ कम-से-कम स्नातक हैं, और जिनके पास शहर में कम-से-कम एक मकान है।

(ii) उन सरकारी अधिकारियों की सन्तान जो वर्ग एक (Class 1) के आफिसर के रूप में नौकरी में आये हों जिनको एक माह में 10,000 रुपये से अधिक वेतन मिलता हो, और जिसकी पत्नी स्नातक हो।

Scanned with CamScanner

(iii) उस डॉक्टर, वकील आदि पेशेवर व्यक्ति की सन्तान जिसकी तीन वर्षों में औसतन आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो और जिसके पास शहर में दस लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति हो। उच्चतम न्यायालय ने 7 नवम्बर, 1994 को इस परिभाषा की निन्दा करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

इन सब बातों का परिणाम आपसी घृणा व वैमनस्य के रूप में भयानक रूप में सामने आ रहा है। यदि यह मान लिया जाता है कि कुल आरक्षण 70 प्रतिशत रहेगा तो क्या शेष 30 प्रतिशत व्यक्ति यह मान जायेंगे कि उन्हें संविधान के अनुसार "बराबर के अवसर" मिल रहे हैं? अतः क्या आरक्षण सामाजिक विषमता दूर कर सकेगा अथवा जातिवाद को और बढ़ावा देगा?

एक विचारधारा है जो कि आरक्षण के पक्ष में है। इस विचारधारा के पक्षधर मानते हैं कि गान्धीजी के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा भारतीय जन के साथ किए गए वायदों और स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित सामाजिक व्यवस्था में चौड़ी खाई है। समाज के शक्तिशाली वर्ग द्वारा शक्तिहीन वर्ग का दबाया जाना समाप्त नहीं हुआ है। वास्तव में स्थिति बिगाड़ दी गई है। सामाजिक न्याय व समानता का स्वप्न अभी भी प्राप्त करना है। विकास के लाभ सर्वोच्च स्तर की 20% जनसंख्या तक ही पहुँचे है। राज्य शक्ति की धुरी (Levers) को मध्यम वर्गीय अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग नियमित कर रहा है। यह वर्ग देश के शासक वर्ग के रूप में उदय हो रहा है। आरक्षण नीति को अपना कर सरकार केवल नव सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का कार्य करेगी जो समाज दलितों को न्याय एवं अवसरों की समानता सुरक्षित करने में सहायक होगी।

प्रजातंत्र तथा योजना, इन दो संस्थाओं से आशा की जाती थी कि ये भारत के निर्माण में सहायक होंगी। लेकिन वांच्छित परिणाम देने में वे असफल रहीं। इस असफलता के लिए केवल संस्थाओं को ही उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। दोषी है कार्यविधि या शक्तिवान लोग जिनके द्वारा कार्यविधि को विकृत कर दिया गया है। मध्यम वर्गीय उच्च जातियों के स्वार्थों के कारण ही हमारे देश में दोहरे विकास की व्यवस्था का उदय हुआ जिसमें सत्ता के निकट रहने वाले सभी लाभ उठा रहे हैं और निम्न स्तरीय लोग विकास प्रक्रिया के ठोस उपलब्धियों से वन्चित रह जा रहे हैं। सत्ता में कुछ अभिजन जो ग्रामीण लोगों के, विशेष रूप से कृषकों तथा पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने इन लोगों के असन्तोष को समाप्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा की जिनसे गरीबों को कुछ आशा मिल सके। एक ऐसी विचारधारा भी है। (इसमें उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं) जो आरक्षण की पक्षधर है, लेकिन जाति की अपेक्षा आर्थिक आधार की आवश्यकता पर बल देती हैं।

लगभग सभी राजनैतिक दलों ने आर्थिक आवश्यकता के आधार के विचार का समर्थन किया है। उनकी मान्यता है कि इससे सभी वर्गों और जातियों के निर्धन और योग्य लोगों को समाज में उठने में सहायता मिलेगी। अलाभार्थी (Disadvantaged) समूहों को संरक्षण की आवश्यकता है, किन्तु इसे सभी के लिए सदैव के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता। निर्धनों को विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी प्रगति पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। जैसे ही पता चले कि उन्हें आरक्षण की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही सभी सेवाएँ सभी के लिए उपलब्ध करा देनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

आरक्षण नीति के विरुद्ध भले ही कितने तर्क सैद्धान्तिक दृष्टि से क्यों न दिए जाएँ, व्यवहार में सभी पार्टियाँ इसका समर्थन करती रहेंगी क्योंकि उन्हें इस प्रकरण से चुनावी लाभ मिलते रहते हैं।

इस प्रकार युवा वर्ग को 'उन्नत' व 'पिछड़ी' जातियों के प्रकरण को उठाने की अपेक्षा राजनैतिक पार्टियों के स्वार्थ के विरुद्ध और समाज में व्यक्तियों तथा युवाओं के तर्क संगत हितों के प्रकरण को उठाना चाहिए। वे यह सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण नीति में संशोधन के लिए कुछ सुझाव रख सकते हैं कि केवल कुछ जातियों व परिवारों को लाभान्वित होने की अपेक्षा पिछड़ी जातियों के योग्य व्यक्तियों की बड़ी संख्या को इसका लाभ प्राप्त हो। दूसरे, योग्यता और कुशलता के बीच कोई भी समझौता मान्य नहीं होना चाहिए। तीसरे, उन्हें पिछड़ी जाति के छात्रों और युवकों को इस प्रकरण पर अपने साथ लेना चाहिए और उन्हें उनके उद्देश्य से आश्वस्त करने के योग्य होना चाहिए

परीक्षोपयोगी प्रश्न
(उत्तर संकेत सहित)

प्रश्न 1. पिछड़ा वर्ग आन्दोलन क्या है? दक्षिण भारत के पिछड़ा वर्ग आन्दोलन की विवेचना कीजिये।

(इसके अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग आन्दोलन का अर्थ (11.1) तथा भारत में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन (11.2) शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये विवरण को प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 2. मण्डल आयोग की रिपोर्ट एवं पिछड़ा वर्ग आन्दोलन पर एक निबन्ध लिखिये।

(इसके अन्तर्गत मण्डल आयोग की रिपोर्ट एवं पिछड़ा वर्ग आन्दोलन (11.3) शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये विवरण को प्रस्तुत करना होगा।)

प्रश्न 3. भारत में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन का विश्लेषण कीजिये।

(सम्पूर्ण अध्याय को संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा।)

REFERENCES

Scanned with CamScan